प्र.सं. .... / वाद / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/9/25	वकु० उप० । प्रा० पत्र U/S 10 CPC सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस एक अन्य वाद ओंकार बनाम कल्याण बाबत भी अवगत कराया कि उक्त वाद भी पूर्ववर्ती वाद कल्याण/सूरजमल 114/2007 में वर्णित आराजी से सम्बन्धित है। अतः उक्त वाद को भी समेकित किया जावे। दौराने बहस वाद से 03/2022 को भी तलब किया जाकर बहस सुनी गई है। पूर्ववर्ती वाद में दि० 13/11/25 नियत है। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 13/11/2025 को पेश हो।	
13/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी/अप्रार्थी द्वारा उक्त वाद ख0सं0 240 रकबा 4.2006 है0 ग्राम बडून्दा पर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है। उक्त भूमि बाबत एक प्रकरण पूर्व से ही न्यायालय मे वाद संख्या 114/2000 बउनवान कल्याण बनाम सूरजमल वास्ते बंटवारा भूमि, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वर्तमान में जेरकार है। जिसमें पक्षकार, वाद विषयक एवं विवादित भूमि समान है। ऐसी स्थिति में एक ही न्यायालय में समान भूमि हेतु पृथक-पृथक वाद जेरकार रहने से विरोधाभासी निर्णय होना संभावित है। अतः उक्त वाद को पूर्ववर्ति वाद के साथ समेकित किया जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा सीधे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की पूर्ववर्ति वाद 114/2007 का 18.06.2013 को निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त वाद बंटवारा भूमि हेतु था जबकि यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं पूर्ववर्ति वाद को न्यायालय के समक्ष तलब	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

करने पर यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ति वाद का निर्णय 18.06.2013 को हो चूका था किन्तु माननीय अपील न्यायालय से प्रकरण रिमाण्ड होने से वर्तमान में न्यायालय में वास्ते कायम मुकाम हेतु जैरकार है। जिसमें पश्चातवर्ति वाद वर्णित आराजी सम्मिलित है एवं अनुतोष भी सम्मिलित है। दौराने बहस एक अन्य वाद 23/2022 बउनवान औंकार बनाम कल्याण भी उक्त पूर्ववर्ति वाद संख्या 114/2000 बउनवान कल्याण बनाम सूरजमल वास्ते बंटवारा भूमि, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत में विवादित भूमि के सम्बन्ध में ही जेरकार है। ऐसी स्थिति में वाद संख्या 23/2022 बउनवान औंकार बनाम कल्याण को भी तलबकर अवलोकन करने पर वाद संख्या 23/2022 में विवाद्यक भूमि वाद संख्या 114/2007 में सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में समान भूमि बाबत पृथक–पृथक वाद एक समय में एक ही न्यायालय में जैरकार होने से विरोधाभासी निर्णय पारित होना सम्भावित है। अतः पश्चातवर्ती वाद संख्या 23/2022 बउनवान औंकार बनाम कल्याण एवं 24/2022 बउनवान औंकार बनाम तेजमल को पूर्ववर्ती वाद संख्या 114/2000 बउनवान कल्याण बनाम सूरजमल के साथ समेंकित किया जाता है। साथ ही प्रार्थना पत्र 26/20222 बउनवान औंकार बनाम कल्याण को प्रार्थना पत्र 25/20222 बउनवान औंकार बनाम तेजमल के साथ समेंकित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner